नम्बर व तारीख ...
जो इस हुक्म की ...
में जारी हुए ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/67 /14	27.03.2014	12.06.2018

उनवान

1. जमालुदीन पुत्र चाहत जाति मेव निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. बलराज पुत्र दीवानचन्द
2. मदन मोहन पुत्र श्री रल्याराम
3. हरीशचन्द पुत्र साहबदत्ता
4. लाजवन्ती बेवाह अर्जुनदास
5. अखनूरी लाल बेवा दयाराम
6. मिश्रसेन पुत्र गोकलचन्द ब्राहम्ण निवासियान ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खाता सं0 499 खसरा नम्बरान 1298 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त विवादित आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मुतनाजा पर वादी का गत 40–50 सालों से एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 उक्त आराजी मुतनाजा से सदैव से बेकब्जा रहे है। जिनका उक्त आराजी मुतनाजा से कोई वास्ता वो सरोकार नही रहा है। उक्त आराजी पर मुतनाजा पर मिन वादी का मुखालफाना कब्जा रहा है। मिन वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा धारा 180 आरटीएक्ट या अन्य किसी विधि के तहत आज दिन तक कोई बेदखली की कार्यवाही नही की गयी है। मिन वादी ताहाल तक बेरोकटोक काश्त करता चला आ रहा है जिससे मिन वादी उक्त वादग्रस्त आराजीयात की बाबत अपने आपको गैरखातेदार घोषित कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी का मिन वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर गैरखातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

यह है कि उक्त आराजी मुतनाजा पर वादी का गत 40–50 सालो से एडवर्स पजेशन (प्रतिकुल कब्जा) चला आस रहा है ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर खिलौरा में दिनांक 12.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक विवादित आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मुतनाजा पर वादी का गत 40–50 सालों से एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 उक्त आराजी मुतनाजा से सदैव से बेकब्जा रहे है। जिनका उक्त आराजी मुतनाजा से कोई वास्ता वो सरोकार नही रहा है। शिविर में ग्रामवासियान से जानकारी की तो ग्रामवासियान ने बताया कि प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 का कोई कब्जा नही है। उक्त आराजी सदैव से ही वादी काबिज चला आ रहा है। अतः वादी को गैरखातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता सं0 499 खसरा नम्बरान 1298 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर से प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को गैरखातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

रहा है कि उक्त आराजी मुतनाजा पर वादी का गत 40–50 सालो से
एडवर्स पजेशन (प्रतिकुल कब्जा) चला आस रहा है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खिलौरा)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/67 /14	27.03.2014	12.06.2018

उनवान

1. जमालुदीन पुत्र चाहत जाति मेव निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. बलराज पुत्र दीवानचन्द
2. मदन मोहन पुत्र श्री रल्याराम
3. हरीशचन्द पुत्र साहबदत्ता
4. लाजवन्ती बेवाह अर्जुनदास
5. अखनूरी लाल बेवा दयाराम
6. मिश्रसेन पुत्र गोकलचन्द ब्राहम्ण निवासियान ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खाता सं0 499 खसरा नम्बरान 1298 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर से प्रतिवादीगण सं0 1 ला0 6 का नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को गैरखातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

... नाम गैरखातेदारी मे दर्ज रिकोर्ड है ।
यह है कि उक्त आराजी मुतनाजा पर वादी का गत 40–50 सालो से
एडवर्स पजेशन (प्रतिकुल कब्जा) चला आ रहा है ।